न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 145 / 2025

अनवान : —

1. रोशनी देवी पत्नी प्रेम कुमार जाति जाट निवासी चन्दूरवाली त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ । प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी । अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 मय सपठित धारा 128 एलआरएक्ट

एड विकास शर्मा · अधिवक्ता प्रार्थीया

राजपैरोकार . 28/4/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील टिब्बी के अधिनस्थ चक 10 एन.जी.सी. पटवार हल्का चन्दूरवाली के खाता स० 162 / 157 प० न० 204 / 254 मु0 न0 7 के किला न0 3 ता 9, 12 ता 19, 23 कुल 4.048 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ई साईन जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है जो कि वाद का आधार है । चक नं0 10 एन.जी.सी. तहसील टिब्बी के खाता सं0 162 / 157 की कुल 4.048 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि है तथा उपरोक्त कृषि भूमि की पैमाईश के आदेश पटवारी हल्का को दिये गये तथा पटवारी हल्का चन्दूरवाली द्वारा कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) टिब्बी के आदेश क्रमांक 2025 / 11148 / 1 दिनांक 15.04.2025 की पालना में चक 10 एन.जी.सी. पटवार हल्का चन्दूरवाली प० न० 207 / 254, प० न० 206 / 296 को आधार मानते हुए प्रार्थी व पडौसियान व मौतबिरान की उपस्थिति में जरीब चलाकर पैमाईश करवाकर सीमाज्ञान करवाया गया है तथा उपस्थित मौतबिरान के समक्ष फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा सीमा चिन्ह लगाये गये । सीमा चिन्ह कायम रखने के लिए पाबंद किया गया एंव पड़ौसी काश्तकारान को बार—बार सम्पर्क करने पर भी सीमाज्ञान के दौरान उपस्थित नहीं हुआ । तहसील टिब्बी के अधिनस्थ चक 10 एन. जी.सी. पटवार हल्का चन्दूरवाली के खाता स० 162 / 157 प० न० 204 / 254 मु0 न0 7 के किला न0 3 ता 9, 12 ता 19, 23 कुल 4.048 हैक्टेयर भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा निशान दिये गये । प्रार्थीया उपरोक्त कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है ताकि पडौसीयान के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं रहे । प्रार्थीया चक 10 एन. जी.सी. पटवार हल्का चन्दूरवाली के खाता स० 162 / 157 प० न० 204 / 254 मु0 न0 7 के किला न0 3 ता 9, 12 ता 19, 23 पर पटवारी हल्का द्वारा निशान दिये जाकर सीमा चिन्ह लगाये गये है। प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि पर मुताबिक निशानदेही काबिज होना चाहती है परन्तु पत्थरगढ़ी के निशान नहीं होने के कारण प्रार्थीया को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है। यही प्रार्थना पत्र है प्रार्थीया ने अप्रार्थी को कई बार निवेदन किया कि वह प्रार्थीया के नाम दर्ज कृषि भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा पैमाईश के निशान दिये गये एंव उपरोक्त निशान पर एंव प्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि पर पत्थरगढ़ी करवा देवे तो जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तक तो आज कल का कहकर टालता रहा व आखिर मुकाम तहसील परिसर टिब्बी में कतई इन्कार हो गया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है । प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्याय शुल्क पर तहरीर कर पेश है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया की चक 10 एन.जी.सी. पटवार हल्का चन्दूरवाली के खाता स० 162 / 157 प० न० 204 / 254 मु0 न0 7 के किला न0 3 ता 9, 12 ता 19, 23 कुल 4.048 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश अप्रार्थी को दिये जावे। ।

खण्ड अधिकारी एवं
उप महानिदेशक
टिब्बी

प्रार्थना पत्र होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब
कया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया
या तहसीलदार टिब्बी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र
स्तुत कर चक 10 एन. जी. सी. पटवार हल्का चन्दूरवाली के खाता स० 162/ 157
० न० 204/254 मु0 न0 7 के किला न0 3 ता 9, 12 ता 19, 23 कुल 4.048 हैक्टेयर
मि की पैमाईश के आदेश क्रमांक 2025/11148/1 दिनांक 15.04.2025 को हल्का
टवारी चन्दूरवाली को दिए गए जिसके पश्चात हल्का पटवारी चन्द्रवाली द्वारा प्रार्थीया
के खर्च पर पैमाईश करवाकर सीमाज्ञान कर निशान पूर्व में दिए जा चुके है। प्रार्थीया ने
पत्थरगढ़ी वास्ते आपके न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है अगर उक्त खातेदारी
भूमि की पत्थरगढ़ी की जाती तो राजहित प्रभावित नहीं होता है । अतः जवाब प्रार्थना
पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर नियमानुसार आदेश
फरमाया जावे। ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों
का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट आदेश क्रमांक आदेश
क्रमांक 2025/11148/1 दिनांक 15.04.2025 के अनुसार उक्त आराजी की पैमाईस
बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर चक 10 एन. जी. सी. पटवार हल्का चन्दूरवाली के
खाता स० 162/ 157 प० न० 204/254 मु0 न0 7 के किला न0 3 ता 9, 12 ता 19,
23 कुल 4.048 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश कर हल्का पटवारी व अन्य मौतबिरान ने अपने
हस्ताक्षर कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई चित्रप्रति दैनिक डायरी संलग्न पत्रावली है।
प्रार्थी द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी हेतु निवेदन किया गया। जवाब
पैरोकार राज के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान पूर्व
में हुआ है जिसके स्थाई समाधान हेतु प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा अप्रार्थी
सं0 1 को कोई ऐतराज नहीं है।

उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जिसका नियमानुसार प्रार्थी को
सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने का अधिकार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से
खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन होने का कोई अंदेशा नहीं
है। तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को
देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मध्यनजर प्रार्थी का प्रर्थाना पत्र स्वीकार योग्य
है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 110–111 व 128 एलआरएक्ट सपठित धारा
128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार टिब्बी को आदेश दिये जाते
है कि वे चक 10 एन. जी. सी. पटवार हल्का चन्दूरवाली के खाता स० 162/ 157 प०
न० 204/254 मु0 न0 7 के किला न0 3 ता 9, 12 ता 19, 23 कुल 4.048 हैक्टेयर भूमि
में अगर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीया से नियमानुसार
निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर संबंधित पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम
गठित कर विधिवित् पत्थरगढी व पैमाईश करावें। पत्थरगढ़ी व पैमाईश की उक्त प्रक्रिया
के दौरान उक्त मु0न0/किला न0 में दर्ज प्रार्थीया एवं अन्य प्रभावित
काश्तकार/पड़ौसी काश्तकारों को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में पत्थरगढी व
पैमाईश किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/1/26 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रा से
जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
पदेन सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़